#### Anti Ragging Affidavit on Rs. 10.00 Stamp paper for Student

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम–2013				
<u>छात्र का आश्वासन</u>				
1.मैं				
दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जी इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।				
2.भैंने विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलित हैं।				
3.मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सिक्य अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।				
4.मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / देती हूँ कि — (क.) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा / होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग के रूप में माना जा सकता है।				
(ख.) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा / लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में स्परित्य होस्ट्रेंग दिख्य कहा को इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।				
5.मैं, एतदृद्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति				
ाकसा चालू दण्डात्मक अथवा अन्य विकास प्राप्त प्राप्त के जिसी भी संस्थान ने मुझे रैगिंग के षड्यंत्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश				
निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा। घोषित किया गुया दिनमाहवर्ष				
शपथकर्ता के हस्ताक्षर नामः				
Tanua -				
सत्यापन  सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गयी है।				
सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष				
शपथकर्ता के हस्ताक्षर ' नामः				

### Anti Ragging Affidavit on Rs. 10.00 Stamp paper for Guardian

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम—2013	
<u>माता-पिता / अभिभावक द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता</u>	
1.मैं	शि दिया आगे से
2 मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैंगिंग में क्या बात शा	किन्न है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेर्र् रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सिक्य अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाता/जाती है अथवा रैगिंग क देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाई भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।	ो संतान ो बढावा
4.मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / देती हूँ कि –	
(क.) भेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग मा है।	ना गया
(ख.) मेरी संतान जानबूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगे उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।	ो ना ही
5.एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती / पाया जाता है तो वह इन विनि धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा / होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार 6.एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोष उसमें सहायक होने की अथवा षड्यंत्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के कारण निष्कासित नहीं हुई है / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेर को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।	तथा जो होगा। वी अथवा दोष के
घोषित किया गयादिनदिन माह वर्ष	
रापथकर्ता के	हस्ताक्षर
नामः	
पताः	
दूरभाष सं.∕मो.नं.	
सत्यापन	
सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं	TOT # :
इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथाथ कहा गया है।	ह तथा
सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष	
नामः शपथकर्ता के	हस्ताक्षर

# GAP Affidavit on Rs. 10.00 Stamp paper

	<b> </b>	HIGI—14GI/ v	आममावक			
(नीट र	यू०जी० / पी०जी०—20 अनुकमांक	मेरिट) शपथ	थपूर्वक घोषणा क	रता / करती हूँ कि –		
1.	हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार मेरी जन्मतिथि	है।				
2.	मैंने वर्ष में	परीक्षा				
	(बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम) उत्तीर्ण की है।	• • • •				
3.	अन्य					
4.	उक्त के पश्चात अबतक मैं			कर रहा था।		
5.	उक्त के अतिरिक्त मैंने किसी भी कालेज / विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है।					
	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
	मेरे द्वारा की गयी उक्त घोषणाएं, प्रवेश के समय प्र	स्तुत समस्त आभलख एव	सूयनाए पूजतया	सत्य हैं।		
	मरे द्वारा की गया उक्त घाषणाए, प्रवश के समय प्र	स्तुत समस्त आभलख एव	सूयनाए पूर्णतया	सत्य हैं।		
	मेरे द्वारा की गया उक्त घाषणाए, प्रवश के समय प्र	स्तुत समस्त आभलख एव	त्त्र्यनार पूर्णतया	सत्य हैं। शपथकर्ता के हस्ताक्षर		
	मेरे द्वारा की गया उक्त घाषणाए, प्रवश के समय प्र	स्तुत समस्त आभलख एव र नामः	त्त्र्यनार पूर्णतया	• .		
	मरे द्वारा की गया उक्त घाषणाए, प्रवश के समय प्र		त्त्रमार पूर्णतया	• .		

#### Service Bond on Rs. 100.00 Stamp paper for MBBS

## AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO M.B.B.S. COURSE ...... SESSION THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ......ON THIS DAY OF ................. BETWEEN NAME ..... S/O. D/O. W/O ..... RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) ..... (TEMPORARY ADDRESS): ..... MOBILE NO.: E-Mail id.: AADHAR No.:.... Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part AND Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part. been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the ...... course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ...... course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ...... course his/her certificates relating to ..... course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in spe	cified period, FIRST PARTY shall be li	able to pay interest at
the rates specified by the Government as per applicable law do	uring the period 'of delay: AND WHER	EAS the Government
have, at the request of the FIRST PARTY	employed as	granted
stipend to him/her for a period of 24 months effect from	in order to enable	e his/her to study at
AND WHERE AS if the FIRST PLARTY	work s for a period of	fless than 24 months
during the Super specialty course DM/MCH/	Post Graduate Degree M	1D/MS/Diploma/MDS/
Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate am	ount will be treated as stipend and	the FIRST PARTY
shall pay back in addition to	the security amount of Rs	(Rupees
only) the balance amount of stipend to the	ne Government. This bond shall in all r	espects be governed
by the Laws of India, for the time being in force, and the rig		
determined by the appropriate courts in India.	•	
NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS F	FOLLWOS: -	
1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government	for a period of two year on successi	ful completion of the
Super specialty course DM/MCH/Post Graduate I		
course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a	period of two year, FIRST PARTY sha	ll pay forthwith a sum
of Rs (Rupees only) to the Gove	ernment in the specified Government To	reasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion	n of the period of two year service to t	he Government or til
the payment of Rs (Rupees	) only is paid the certificates relatir	ng to
Super specialty course DM/MCH/Post D	egree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate	e Degree MBBS/BDS
course shall be in the custody of the Concerned Institution/Univ	versity/College and the Government ha	as a First lien over all
the certificates gained by the candidates at the time of admission	n.	
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/Uni	versity/College for retention of the cert	tificates till the lien of
Government is cleared/discharged.		
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of $\ensuremath{Ir}$	ndia, for the time being in force, and th	e rights and liabilities
shall, where necessary, be accordingly determined by the approx	opriate courts in India.	
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in $\boldsymbol{s}$	pecified period, FIRST PARTY shall be	e liable to pay interest
at the rate specified by the Government as per applicable law du	ring the period of delay, failing which G	overnment shall have
right to recover the aforesaid amount together with interest as a	rrear of land revenue.	
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable of	n this BOND IN WITNESS WHEREOF	parties to this Deed
have signed this BOND on the date first above mentioned.		
For and behalf of	For and beha	alf of
FIRST PARTY	Governo	r ·
(	(	)
·		

Witnesses: -